

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद

(तृतीय तल, आरएफसी-ब्लॉक, उद्योग भवन, सी-स्कीम, जयपुर फोन न. 2227011, 5188112 फैंक्स न. 2227723)

क्रमांक प. ग्रा.वि./आरजीएवीपी/पी.ए./2013 812-4 जयपुर, दिनांक : 27.05.2013
30

कार्यालय आदेश

महा प्रबन्धक (प्रशासन) को निर्देशित किया जाता है कि परियोजना में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत समस्त परियोजना निदेशक/महा प्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक/प्रबन्धक एवं कर्मचारियों का वेतन, महीने की प्रथम तारीख को से भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें एवं सृजन संस्था द्वारा नियुक्त सलाहकारों, सर्प हैदराबाद द्वारा नियुक्त एसएपी एवं संविदा पर कार्यरत समस्त कर्मचारियों (कार्यालय सहायक, स्टेनों/सपोर्टिंग स्टाफ, कम्प्यूटर ऑपरेटर, मल्टीप्रपज कर्मचारी एवं ड्राईवर) का वेतन बिलों का भुगतान बिल प्राप्त से दो दिन के अन्दर भुगतान करना सुनिश्चित करें। यदि महा प्रबन्धक (प्रशासन) माह की प्रथम व द्वितीय तारीख को बाहर रहते हैं तो समय पर भुगतान का दायित्व लिंक ऑफिसर का रहेगा।

फाईल का प्रोसेस निम्न प्रकार रहेगा:-

महा प्रबन्धक (प्रशासन) बिल को कार्यालय सहायक को भेजेंगे, तत्पश्चात सम्बन्धित कार्यालय सहायक बिल को पत्रावली पर प्रस्तुत कर महा प्रबन्धक(प्रशासन) को पेश करेगा। महा प्रबन्धक (प्रशासन) फाईल को अकाउण्टेंट को भेजेंगे एवं अकाउण्टेंट बिल की जांच करते हुए फाईल वापस महा प्रबन्धक (प्रशासन) को भेज देंगे। महा प्रबन्धक (प्रशासन) अपने स्तर से बिल की स्वीकृति जारी करते हुए कैशियर को भुगतान हेतु निर्देशित करेंगे। यह कार्यवाही दो दिवस में पूर्ण कर ली जाये। Flow Chart संलग्न कर भिजवाया जा रहा है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

27/5/13
स्टेट मिशन डायरेक्टर
आजीविका परियोजनाएं एवं
स्वयं सहायता समूह

प्रतिलिपि:-

1. परियोजना निदेशक(एनआरएलएम/लाईवलीहूड/एम. एण्ड ई.) मुख्यालय, जयपुर।
2. महा प्रबन्धक(प्रशासन) एवं महा प्रबन्धक(वित्त) मुख्यालय, जयपुर।
3. लेखाकार/सम्बन्धित कार्यालय सहायक/कैशियर, जयपुर।
4. संविदा एजेंसी/सृजन संस्था, नई दिल्ली/सर्प हैदराबाद।
5. समस्त स्टाफ

परियोजना निदेशक
(LPs & SHGs)

Flow Chart



